

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ii आदेश ii

संचिका सं०-02 / स्था०-SDRF-02 / 2022 / / आ०प्र०, पटना-23, दि०-

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस निदेशालय, पटना के पत्रांक-4487 दिनांक-23.12.2025 द्वारा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल में प्रतिनियुक्त कर्मियों के भविष्य निधि खाता से स्थायी अग्रिम की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के पत्र सं०-786 दिनांक-11.06.2008 के आलोक में कार्यालय प्रधान के रूप में कार्यरत समादेष्टा, राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल से एक स्तर वरीय पदाधिकारी को नियंत्री प्राधिकार के रूप में नामित करने का परामर्श दिया गया है।

2. उक्त परामर्श के आलोक में मो० नदीमुल गफफार सिद्दीकी, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल में प्रतिनियुक्त कर्मियों के भविष्य निधि खाता से स्थायी अग्रिम की स्वीकृति हेतु नियंत्री पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(अविनाश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक-02 / स्था०-SDRF-02 / 2022 / / आ०प्र०, पटना-23, दि०-

प्रतिलिपि- सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / मो० नदीमुल गफफार सिद्दीकी, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना / समादेष्टा, एस०डी०आर०एफ०, बिहटा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-02 / स्था०-SDRF-02 / 2022 / 304 / / आ०प्र०, पटना-23, दि०-

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


3/2/2026
सरकार के संयुक्त सचिव